आईटी अधिनियम की धारा 69-(ए) के तहत भारत सरकार ने 200 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किया ब्लॉक

इंडियन एक्सप्रेस

पेपर-II
(भारतीय राजव्यवस्था)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, की धारा-69(ए) के तहत "तत्काल" और "आपातकालीन" आधार पर 138 ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों और 94 मनी लेंडिंग ऐप्स को ब्लॉक करने के आदेश जारी किए। यह निर्णय गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक सिफारिश पर आधारित था, जिसे केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिला था कि कुछ साइट्स और ऐप कथित रूप से चीन से जुड़े हुए थे और इसमें "भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक सामग्री" शामिल थी।

उधार देने वाले ऐप्स से क्या खतरा है?

पिछले तीन वर्षों में, ऐसे लोगों से जबरन वसूली और उत्पीड़न की कई पुलिस शिकायतें प्राप्त हुई है, जिन्होंने इस तरह के मनी-लेंडिंग ऐप के माध्यम से अक्सर अत्यधिक उच्च ब्याज दरों पर छोटी राशि उधार ली थी। दिसंबर 2020 में, विशाखापत्तनम के मूल निवासी DNM संतोष कुमार ने उधार देने वाले ऐप्स द्वारा कथित रूप से उत्पीड़न का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली। इसी तरह, पुणे के साइबर पुलिस स्टेशन को 2020 में ऋण ऐप अपराधों की 699 शिकायतें मिलीं। 2021 में यह संख्या बढ़कर 928 हो गई। अगस्त 2022 तक ऋण ऐप संचालकों के खिलाफ 3,151 शिकायतें दर्ज की गयी। इसके बाद, गृह मंत्रालय ने ऋण देने वाले चीनी ऐप की जांच शुरू की और पाया कि जहाँ ई-स्टोर पर केवल 94 ऐप उपलब्ध हैं, वहीं अन्य, तीसरे-पक्ष के लिंक या वेबसाइटों के माध्यम से काम कर रहे हैं।

आईटी अधिनियम की धारा-69 क्या है?

- आईटी अधिनियम की धारा-69, सरकार को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी), दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, वेब होस्टिंग सेवाओं, सर्च इंजन, ऑनलाइन मार्केटप्लेस आदि जैसे ऑनलाइन मध्यस्थों को सामग्री-अवरोधक आदेश जारी करने की अनुमति देती है।
- इस धारा के लिए आवश्यक है कि सूचना या सामग्री को ब्लॉक किया जाना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा समझा जाए।
- यदि केन्द्र या राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हैं कि सामग्री को अवरुद्ध करना 'आवश्यक' और 'समीचीन' है-
  1. भारत की संप्रभुता या अखंडता,
  2. भारत की रक्षा,
  3. राज्य की सुरक्षा,
  4. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था या रोकथाम के आधार पर उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन के लिए या किसी अपराध की जांच के लिए उकसाना।

5. यह, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, किसी भी एजेंसी को "किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट या इंटरसेप्ट या मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने का कारण बना सकता है।

ऐसे ऐप्स को ब्लॉक करने की प्रक्रिया क्या है?

2009 से, MeitY के पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय के समान अवरोधक शक्तियाँ हैं। यद्यपि MeitY इन शक्तियों को IT अधिनियम से प्राप्त करता है, यह सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक द्वारा सूचना की पहुँच के लिए अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 या IT नियम, 2009 है, जो इस तरह के आदेश जारी करने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। आईटी नियमों में समीक्षा समितियों, निष्पक्ष सुनवाई का अवसर, सख्त गोपनीयता और नामित अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड के रख-रखाव जैसे प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, गैर-आपातकालीन सामग्री को अवरुद्ध करते हुए भी MeitY द्वारा व्यक्तियों को पूर्व-निर्णय सुनवाई प्रदान करने का कोई रिकॉर्ड नहीं किया गया है।

इस पर न्यायालयों का क्या फैसला है?

2015 के एक ऐतिहासिक फैसले में, "श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ" में सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-66(ए) को रद्द कर दिया, जिसमें संचार सेवाओं आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए सजा का प्रावधान था। अदालत ने कहा, "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, की धारा-66(ए) पूरी तरह से अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है और अनुच्छेद 19(2) के तहत सहेजी नहीं गई है। याचिका में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2009 की धारा-69(ए) को भी चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे "संवैधानिक रूप से वैध" माना।

यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा-66(ए) के विपरीत धारा-69(ए) कई सुरक्षा उपायों के साथ एक संकीर्ण रूप से तैयार किया गया एक प्रावधान है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ब्लॉकिंग का सहारा तभी लिया जा सकता है, जब केन्द्र सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करना आवश्यक है। दूसरे, ऐसी आवश्यकता केवल अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित कुछ विषयों से संबंधित है। तीसरा, इस तरह के अवरुद्ध आदेश में कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए ताकि उन्हें संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत रिट याचिका में चुनौती दी जा सके।

जुलाई 2022 में धारा-69 पर बहस फिर से विचार किया गया, जब ट्विटर ने उपयोगकर्ताओं को सुनवाई देने की प्रक्रियात्मक आवश्यकता का पालन करने में विफल रहने वाले आदेशों को रोकने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में MeitY पर मुकदमा दायर किया। जिसके जवाब में, केन्द्र ने उच्च न्यायालय को बताया कि ट्विटर एक विदेशी निगम था और उसके पास कोई मौलिक अधिकार या कानूनी उपाय नहीं था। उसके बाद, ट्विटर ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत उनके तर्क उन नागरिकों के अधिकारों के संबंध में थे, जिनके पास ट्विटर अकाउंट थे। 8 फरवरी को, इस मामले में सुनवाई की सबसे हालिया तारीख पर, केन्द्र ने खाताधारकों के मौलिक अधिकारों पर बहस करने के लिए ट्विटर के लोकस स्टैंडी पर सवाल उठाया और यह भी सवाल किया कि ट्विटर और उसके खाताधारकों के बीच कानूनी संबंध क्या होंगे।

सरकार द्वारा धारा-69(ए) का उपयोग करने के कुछ अन्य उदाहरण क्या हैं?

चीन के साथ सीमा पार तनाव के बाद, MeitY ने 29 जून, 2020 को 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें TikTok, Shareit, Shein, Xiaomi Mi Community, Clash of Kings, Weibo, Likee आदि शामिल हैं। इसी तरह, 1 सितंबर, 2020 को सरकार ने गेमिंग ऐप PUBG सहित 118 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसके बाद 19 नवंबर, 2020 को 49 ऐप पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया।

हाल ही में 14 फरवरी, 2022 को, MHA ने 54 चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की, जिसमें लोकप्रिय गेम 'गरेना फ्री फायर', सिंगापुर स्थित एक ऐप शामिल है, जिसमें गोपनीयता के मुद्दों और सुरक्षा खतरों से संबंधित संभावित चिंताओं के कारण धारा-69(ए) लागू किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

यह भारतीय संसद द्वारा 2000 में अधिनियमित किया गया था। यह साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित मामलों के लिए भारत में प्राथमिक कानून है। अधिनियम को इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन को कानूनी मंजूरी देने, ई-गवर्नेंस को सक्षम करने और साइबर अपराध को रोकने के लिए भी अधि नियमित किया गया था। इस कानून के तहत, भारत में स्थित कंप्यूटर या नेटवर्क से जुड़े किसी भी अपराध के लिए विदेशी नागरिकों को भी आरोपित किया जा सकता है। कानून डिजिटल/ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के माध्यम से विभिन्न साइबर अपराधों और धोखाधड़ी के लिए दंड निर्धारित करता है। यह डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता भी देता है।

आईटी अधिनियम 2000 के अन्य प्रमुख बिंदु :-

- सरकार ने मूल आईटी कानून को वर्ष 2000 में अधिनियमित किया था। मध्यस्थ को आईटी अधिनियम 2000 की धारा 2(1) (डब्ल्यू) में परिभाषित किया गया है। 'मध्यस्थ' शब्द में सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइट, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और साइबर कैफे के अलावा दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा और वेब होस्टिंग के प्रदाता शामिल हैं। इसमें वो भी व्यक्ति शामिल है, जो किसी अन्य की ओर से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को "प्राप्त करता है, स्टोर करता है या प्रसारित करता है"। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस परिभाषा के अंतर्गत आएंगे।
- सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा-निर्देश (संशोधन) नियम पहली बार 2011 में जारी किए गए थे और 2018 में सरकार ने उन नियमों में कुछ बदलाव किए। यह खंड मध्यस्थ दायित्व को कवर करता है। अधिनियम की धारा 79 (2) (सी) में कहा गया है कि बिचौलियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य दिशानिर्देशों का भी पालन करना चाहिए। 2018 में, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित फर्जी खबरों और अफवाहों और संदेशों के कारण मॉब लिंचिंग की संख्या में वृद्धि हुई थी।

- **धारा-79:** यह अब केन्द्र और माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच चल रही मध्यस्थ दायित्व लड़ाई के केंद्र में है, जो सरकारों और वाणिज्यिक इंटरनेट प्लेटफार्मों के बीच संबंधों के लिए प्रमुख नियमों को परिभाषित करती है। धारा-79 कहती है कि किसी भी तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा, या संचार लिंक को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट किए जाने के लिए किसी भी मध्यस्थ को कानूनी रूप से या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : भारत में निम्नलिखित में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है?

1. सेवा प्रदाता
2. डेटा केन्द्र
3. बॉडी कॉर्पोरेट

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

Que. In India, which of the following is legally mandated to report cyber security incidents?

1. Service provider
2. Data centers
3. Body corporate

Select the correct answer using the code given below :

(a) 1 only
(b) 1 and 2 only
(c) 3 only
(d) 1, 2 and 3

उत्तर : D

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : देश की सुरक्षा एवं गोपनीयता को बनाए रखने में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के महत्त्व को बताइये तथा इसे और प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाए? **(250 शब्द)**

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को क्यों लाया गया?
- देश की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाये रखने में इस अधिनियम के महत्त्व को बताएं।
- इस अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए उपाय बताएं।
- वर्तमान में इसकी आवश्यकता को देखते हुए संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।